न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3899–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–10–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा जिला गुना, प्रकरण कमांक 148/2010–11/अपील

जय नारायण पुत्र धुलजी चौकसे,
निवासी चाचौडा तहसील चाचौडा
जिला गुना

..............आवेदक

विरूद्ध

1–कैलाश पुत्र गोविंद चौकसे
2–कमलेश पुत्र गोविंद चौकसे
3–सतीश पुत्र गोविंद चौकसे
4–राजू पुत्र गोविंद चौकसे
5–नाथीबाई विधवा पत्नि गोविंद चौकसे
6–हरिओम पुत्र मॉगीलाल चौकसे
7–रोशनलाल पुत्र मांगीलाल चौकसे
समस्त निवासीगण चाचौडा तहसील चाचौडा
जिला गुना म0प्र0

..............अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी चाचौडा जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमियों के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–27/1994–95 दर्ज कर दिनांक 30–5–1995 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–10–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण भूमि की किस्म, कब्जा व मौका स्वत्व के मान से पटवारी से फर्द मंगाई गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–5–1995 के विरूद्ध वर्ष 2011 में लगभग 15 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि बटवारा आदेश पारित होने के उपरांत गोविंदप्रसाद की मृत्यु हो गयी है और उनके हिस्से पर वारिसान का नामान्तरण भी हो गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 30–5–1995 को पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण द्वारा दिनांक 30–5–2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी कथन अविश्वसनीय है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि में से सुनील तथा रोशनलाल को भूमि का विक्रय किया गया है, अतः तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से रही है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारे के समय अनावेदकगण भूमिस्वामी नहीं होकर उनके पिता भूमिस्वामी थे । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से उपरोक्त तर्को को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अस्वीकृत नहीं किया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में गोविंदप्रसाद द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं अपील मेमों में किये गये हस्ताक्षर में भिन्नता है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों का पालन

नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही विलम्ब क्षमा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं करने से अब विलम्ब के संबंध में तर्क प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का बटवारा निरस्त किया जाकर पटवारी से भूमि की किस्म, कब्जा व मौका एवं स्वत्व के मान से बटवारा फर्द मॅगाई गई है, इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी बटवारा आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त है और वे इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी चाचौडा जिला गुना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर